न्यायालय, अवर न्यायाधीश प्रथम,
जगदीशपुर, आरा(भोजपुर)
राकेश कुमार पंचम्
नंबरी वाद सं0–97 / 2024
सी0आई0एस0नं0–97 / 2024

1. मनोज कुमार पिता स्व0 श्रीनाथ सिंह
साकिन भदई बथान जगदीशपुर वार्ड–18 पो0+थाना–जगदीशपुर, जिला–भोजपुर।

–वादी

बनाम

1. सीता देवी पति आनंद कुमार
साकिन रकटू टोला, पो0–जितौरा, थाना–पीरों, जिला–भोजपुर, आरा।

–प्रतिवादी

वादी के विद्वान अधिवक्ता–संजय कुमार पाण्डेय
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता–ओमप्रकाश पाण्डेय

निर्णय तिथि–30.04.2026
उपस्थित–राकेश कुमार (V), सब जज प्रथम, जगदीशपुर, आरा(भोजपुर)

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद मुदई द्वारा मुदालय के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक–10.02. 2021 दस्तावेज सं0–1258 के निस्वत जरसमन अदाय करने में असमर्थ होने के कारण मुदालह द्वारा बनाये गये याद्दास्त कैन्सिलनामा 12.01.2022 के कारण तकरारी बयनामा शून्य है, के लिए दाखिल किया गया है।

2. वादपत्र के सिड्यूल–'क' में वर्णित विवादित भूमि का विवरण निम्न हैः–

वार्ड नं0–8, नया वार्ड नं0–18, ग्राम–जगदीशपुर, थाना वो अंचल–जगदीशपुर जिला–भोजपुर		
खाता	खेसरा	रकबा (डी0)
204	858	1.656
		उत्तर–निज हिस्सेदार महेन्द्र सिंह दक्षिण–आज से क्रेता पूरब–हिस्सेदार लालबाबु सिंह प0–बैयदार लक्ष्मीना देवी वगैरह
204	859	1.469
		उत्तर–आज से केता दक्षिण–4 फीट कच्ची रास्ता पूरब–हिस्सेदार लालबाबु सिंह पश्चिम–बैयदार लक्ष्मीना देवी

3. वादी द्वारा दाखिल वादपत्र के अनुसार उनका संक्षिप्त अभिवचन यह है कि अर्जी हाजा के अंत में सय तकरारी का पूर्ण तफसील जमीमा नं0–क मुन्दर्ज किया जाता है, जिसे करावत जो हकियती मन मुदई की है। सय तकरारी एराजी मौजा जगदीशपुर सवे वार्ड नं0–8 नया वार्ड नं0–18 खाता–204 खेसरा–858 ऐरिया 1.656 डी0 उतर हिस्सेदार महेन्द्र सिंह दक्षिण–आज से क्रेता पूरब हिस्सेदार लालबाबु सिंह पश्चिम बैदार लक्ष्मीना देवी खेसरा–859 ऐरिया–1.469 डी0 उतर आज से क्रेता दक्षिण–4 फीट कच्ची रास्ता पूरब हिस्सेदार लालबाबू सिंह पश्चिम बैयदार लक्ष्मीना देवी है। जो मनमुदई की ऐराजी है। मुदई ने मुदालय को एक किता बैयनामा दिनांक–10.02.2021 को सय तकरारी के निश्वत जगदीशपुर निबंधन कार्यालय में एक बैयनामा किया जिसका दस्तावेज नं0–1258 है। मुदई एवं मुदालय सहोदर भाई एवं बहन है तथा बहन के मुदालय के कहने सुनने पर मुदई ने बैयनामा किया और कुल जर समन पाने का एक्सक्युशन लिखवा दिया मुदालय ने रसीद बेची के समय रुपया देने का बातचीत की थी लेकिन मुदई ने अपनी बहन के स्नेह एवं दुलार से बसिभूत होकर रुपया प्राप्त करने का एक्सक्यूशन बैयनामा पर लिख दिया और मूल कागजात अपने पास रख लिया। मुदालेहा के पास पैसा का इंतजाम नहीं हो सका और मुदालेहा ने कागजात रुपया देकर कागजात लेने से इंकार कर दिया तथा एक सादे कागज पर रेभन्यू टिकट साटकर एक लिखित कैंसिलनामा बना दिया जो दिनांक–12.01.2022 को मुदालेहा द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्वीकृत है। मूल दस्तावेज मुदई के पास आज भी है और मुदई दिनांक–12.01.2022 को बनाये गये यादास्त कागजात पर विधि विशेषज्ञों से राय लिया तो ज्ञात हुआ कि माननीय सिविल न्यायालय को ही बैयनामा को रद् करने का पावर है। मुदई ने इस बात की जानकारी मुदालय को दी और कहा कि दिनांक–12.01.2022 को बनाये गये यादास्त कैंसिलनामा को चलकर न्यायालय में स्वीकार कर लेवें लेकिन मुदालेहा इस बात पर सहमत वो तैयार नहीं है कि नौबत एवं हालत अदालत हाजा को प्राप्त हुआ। मुदई ने मुदालेहा से बारहा कहा वो अपने चुंद रिस्तेदारों से कहलवाया कि सय तकरारी के निश्वत हुए कैंसिलनामा को न्यायालय चलकर स्वीकार कर लेवें और यह भी स्वीकार कर लेवे की मुदालय द्वारा कोई जर समन अदाय नहीं करने के कारण उक्त बैयनामा से कोई हकियत प्राप्त नहीं होता है और वह बैयनामा का कैंसिलनामा सही एवं सत्य है लेकिन मुदालय इस बात पर ध्यान नहीं देती टाल मटोल कर रह जाती कि नौबत एवं हालत अदालत हाजा को प्राप्त हुआ। जहुरदावी मुकदमा दिनांक–22.02.2021 मुदई द्वारा मुदालय के पक्ष में करने वो मुदई द्वारा उसके एक्यूशन को स्वीकार वो भी मुदालय द्वारा जर समन अदाय

करने में होने असमर्थ वो भी लिखने कैंसिलनामा दिनांक–12.01.2022 मौजा जगदीशपुर वो भी मुदई द्वारा करने आरजू मिनत वो भी करने कैंसिलनामा को स्वीकार वो मुदईलेहा का होने नियत खाम वो भी करने अंतिम इंकार बतारीख 05.03.2024 मौजा जगदीशपुर अंदर हद समायत अदालत हाजा का है। मालियत मुकदमा मो0 9,86,000 रु0 का होता है लेकिन मोकदमा चूंकि डिक्लेटरी का है इसलिए नियत कोर्ट फिस अदाय किया जाता है। मुदई पाने हसब जैल दादरसी के मुस्तहक है।

4. मुदालेहा सीता देवी की ओर से दिनांक–25.08.2025 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है, जो संक्षेप में निम्न प्रकार है। मुदालह ने कहा है कि तकरारी संपत्ति पर एक दिन भी हकियत वो दखल कब्जा नहीं हुआ। मैने कोई जरसमन अदाय नहीं किया है। इसलिए मुदई का मुकदमा डिक्री कर दिया जाए। मुदई का अर्जीदावी पारा नं0–1 ता 7 सही सही है तथा मांगा गया अनुतोष भी सही है। मुदालह ने अपने बयान तहरीरी में मुदई के सभी अभिवचन को स्वीकार किया है। यदि कोई पारा छुट गया है तो उसे इंकार नहीं स्वीकार समझा जाए।

5. वादीगण की ओर से निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया।

1. वादी साक्षी सं0–1 मनोज कुमार सिंह

6. वादीगण की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

1. मौजा–जगदीशपुर नगरपालिका वार्ड नं0–8 खाता सं0–204, खेसरा सं0–858 एवं 859 का बजाप्ता नकल जिसको वादी द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।
2. मूल केवाला सं0–1258 दिनांक–10.02.2021 मनोज कुमार बनाम सीता देवी जिसको वादी द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।

7. प्रतिवादी की ओर से निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया।

1. प्रतिवादी साक्षी सं0–1 सीता देवी

मंतव्य

8. क्या वादी वादपत्र में वर्णित अनुतोष कि मुदई द्वारा मुदालह के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक–10.02.2021 दस्तावेज सं0–1258 के निस्वत जरसमन अदाय करने में असमर्थ होने के कारण मुदालह के पक्ष में किया गया बयनामा शून्य घोषित किया जा सकता है ?

9. वादी अपने वादपत्र के पारा नं0–2 में कहा है कि तकरारी एराजी मौजा जगदीशपुर सवे वार्ड नं0–8 नया वार्ड नं0–18 खाता–204 खेसरा–858 ऐरिया 1.656 डी0 उतर हिस्सेदार महेन्द्र सिंह दक्षिण–आज से केता पूरब हिस्सेदार लालबाबु सिंह पश्चिम बैदार लक्ष्मीना देवी खेसरा–859 ऐरिया–1.469 डी0 उतर आज से केता दक्षिण–4 फीट कच्ची रास्ता पूरब हिस्सेदार लालबाबू सिंह पश्चिम बैयदार लक्ष्मीना देवी है। जो मनमुदई की ऐराजी है। मुदई ने मुदालय को एक किता बैयनामा दिनांक–10.02.2021 को सय तकरारी के निश्वत जगदीशपुर निबंधन कार्यालय में एक बैयनामा किया जिसका दस्तावेज नं0–1258 है। मुदई एवं मुदालय सहोदर भाई एवं बहन है तथा बहन के मुदालय के कहने सुनने पर मुदई ने बैयनामा किया और कुल जर समन पाने का एक्सक्युशन लिखवा दिया मुदालय ने रसीद बेची के समय रूपया देने का बातचीत की थी लेकिन मुदई ने अपनी बहन के स्नेह एवं दुलार से बसिभूत होकर रुपया प्राप्त करने का एक्सक्यूशन बैयनामा पर लिख दिया और मूल कागजात अपने पास रख लिया। मुदालेहा के पास पैसा का इंतजाम नहीं हो सका और मुदालेहा ने कागजात रुपया देकर कागजात लेने से इंकार कर दिया तथा एक सादे कागज पर रेभन्यू टिकट साटकर एक लिखित कैंसिलनामा बना दिया जो दिनांक–12.01.2022 को मुदालेहा द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्वीकृत है। मूल दस्तावेज मुदई के पास आज भी है और मुदई दिनांक–12.01.2022 को बनाये गये यादास्त कागजात पर विधि विशेषज्ञों से राय लिया तो ज्ञात हुआ कि माननीय सिविल न्यायालय को ही बैयनामा को रद् करने का पावर है। मुदई ने इस बात की जानकारी मुदालय को दी और कहा कि दिनांक–12.01.2022 को बनाये गये यादास्त कैंसिलनामा को चलकर न्यायालय में स्वीकार कर लेवें लेकिन मुदालेहा इस बात पर सहमत वो तैयार नहीं है कि नौबत एवं हालत अदालत हाजा को प्राप्त हुआ। प्रतिवादी सीता देवी अपने लिखित कथन के पारा–3 में कही है कि वादग्रस्त एराजी पर मेरा एक दिन भी हकियत एवं दखल कब्जा नहीं हुआ। मैंने कोई भी जरसमन अदाय नहीं किया है इसलिए मुदई का मुकदमा डिक्री कर दिया जाए। प्रतिवादी द्वारा वादी के पूर्ण दावा को स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिवादी साक्षी सं0–1 सीता देवी अपने मुख्य परीक्षा पारा–4 में कही है कि मुदई मेरे सहोदर भाई हैं। मैंने इनका जमीन लिखाया था लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो मुझे जमीन का कागज नहीं मिला। पारा–5 में कही है कि जमीन पर मेरा एक दिन के लिए भी दखल कब्जा नहीं हुआ है। पारा–7 में कही है कि तकरारी बयनामा मुदई के पास है। तकरारी बयनामा से मुझे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। पारा–8 में कही है कि मुदई के पक्ष में स्वामित्व की घोषणा कर दी जाये तथा तकरारी बयनामा को

बिना हकियत घोषित कर दिया जाए। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित तथ्य का पूर्णरूपेण समर्थन किया है तथा वादग्रस्त एराजी के संबंध में खतियान दाखिल किया है, जो उसके पूर्वजों के नाम से बना है। प्रश्नगत मूल केवाला भी वादी द्वारा दाखिल किया गया है लेकिन प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है। प्रतिवादी सीता देवी द्वारा वादी के सभी दावे को स्वीकार कर लेने के कारण आदेश–12, नियम–6 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद को निर्णित किया जाता है। आदेश–12, नियम–6 के अनुसार जहां अभिवचन में या अन्यथा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं वहां न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से निर्णय कर सकता है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी द्वारा वादी के सभी दावे को स्वीकार कर लिया गया है इसलिए आदेश–12 नियम–6 के अंतर्गत निर्णित किया जाता है। दस्तावेज सं0–1258 दिनांक–10.02.2021 मनोज कुमार बनाम सीता देवी खाता–204, खेसरा–858 एवं 859 क्रमशः रकवा–1.656 डी0 एवं 1.469 डी0 शून्य घोषित किया जाता है।

आदेश

वाद वादी के पक्ष में सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है। दस्तावेज सं0–1258 दिनांक–10.02.2021 मनोज कुमार बनाम सीता देवी खाता–204, खेसरा–858 एवं 859 क्रमशः रकवा–1.656 डी0 एवं 1.469 डी0 शून्य घोषित किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

मेरे द्वारा खुले न्यायालय में बोलकर लेखापित,
शुद्धिकृत एवं निर्णित किया गया।

लेखापित

(राकेश कुमार (V))
अवर न्यायाधीश प्रथम
जगदीशपुर, भोजपुर

APPENDEX OF EVIDENCE

इस वाद में प्रस्तुत की गयी साक्ष्य

(A) वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य

क्रं सं	साक्षी का नाम	सक्ष्य की प्रकृति
वादी साक्षी—1	मनोज कुमार सिंह	स्वयं वादी

(B) वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रलेखीय साक्ष्य

क्रं सं	दस्तावेज
1	मौजा—जगदीशपुर नगरपालिका वार्ड नं0—8 खाता सं0—204, खेसरा सं0—858 एवं 859 का बजाप्ता नकल जिसको वादी द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।
2	मूल केवाला सं0—1258 दिनांक—10.02.2021 मनोज कुमार बनाम सीता देवी जिसको वादी द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।

(A) प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य

क्रं सं	साक्षी का नाम	सक्ष्य की प्रकृति
प्रतिवादी साक्षी—1	सीता देवी	स्वयं प्रतिवादी

(c) **वाद के कार्यवाही का विवरण**

क्रं सं0	**विवरण**	**तिथि**
1	वाद संस्थित करने की तिथि	14.03.2024
2	वाद स्वीकृत की तिथि	02.06.2025
3	वादी के साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	30.01.2026
4	बहस प्रारंभ होने की तिथि	22.04.2026
5	निर्णय की तिथि नियत की गयी	22.04.2026
6	वाद का अन्तिम निर्णय	30.04.2026

लेखापित

(**राकेश कुमार (V)**)
अवर न्यायाधीश प्रथम
जगदीशपुर, भोजपुर